बालदा, राजपुरा व मोटाल गांव रोड लाइट से झगमगाया, राज्यमंत्री देवासी ने किया उदघाटनः सरपंच मोहन सिंह

बालदा पंचायत में 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों में लगाए

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

सिरोही, 10 मई (का.सं.)। ग्राम रथ अभियान के तहत बालदा में छात्र नेता वनेपाल सिंह ने षडयंत्र पूर्वक हंगामा किया। उसके पीछे राज्यमंत्री ओटाराम देवासी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। वनेपाल सिंह ने राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने आरोप लगाया कि बालदा पंचायत विकास कार्यों से अछूता है जिस पर बालदा सरपंच मोहनसिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने बालदा पंचायत में विधायक फंड व सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत करीबन 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों में लगाए है।

बालदा सरपंच मोहनसिंह ने बताया कि राजपुरा में जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ 47 लाख से पानी की टंकी बनी और गांव के हर घर नल कनेक्शन दिया गया। जिसके कारण ग्रामीणों को पानी की समस्या से छुटकारा मिला। उन्होंने बताया कि राजपुरा, बालदा, मोटाल तीनों गांव में रोड लाइट के लिए राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने विधायक फंड से पैसे देकर रोड लाइट का कार्य करवाया। उन्होंने बताया देश आजाद होने के बाद पहली बार तीनो गांव रात में दूधिया रोशनी से जगमगा रहे है जिसका उदघाटन राज्यमंत्री देवासी ने किया। जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर है इसी तरह राजपुरा स्कूल में सीसी रोड, दो कमरे, टीन सेड, मंच, ट्यूबवेल, हैंडपंप व बच्चों के लिए पिंक टॉयलेट बनवाएं। और स्कूल के लिए नए चार कमरों की स्वीकृति भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री देवासी के द्वारा बालदा पंचायत में चेक डैम, एनीकट, रपट बनाई गई। साथ ही राजपुरा में शमशान के लिए भूमि एलॉट हुई है जल्द चार दीवारी का कार्य चालू हो जायेगा। इस मौके पर दलपतसिंह, सदाराम, बदराम ओर ग्रामीण मौजूद थे।

राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने बताया कि विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी हर गांव का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा षडयंत्र पूर्वक विकास कार्यक्रम में बाधा पहुंचा कर भाजपा सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे है जिसे जनता भली भांति समझ गई है और विकास कार्यों में जो भी रुकावट आएगी उसे हम दूर करेंगे। भाजपा सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले।

24 घंटे में सरवाड़ पुलिस की बड़ी सफलता, भगवाई गई युवती जयपुर से दस्तयाब

एसपी हर्षवर्धन अगरवाला के निर्देशन में सरवाड़ थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान व सीसीटीवी विश्लेषण से किया ट्रेस

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

सरवाड़, 10 मई (दीपांकुर चौहान)। पुलिस थाना सरवाड़ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर भगवाई गई युवती को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सरवाड़ में दर्ज प्रकरण संख्या 137/2026 में कार्रवाई करते हुए युवती सोना कीर को बगरू (जयपुर) से दस्तयाब किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 मई 2026 को नाथ मोहल्ला सरवाड़ निवासी मंजू देवी पत्नी गंजानंद कीर ने पुलिस थाना सरवाड़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री सोना कीर सुबह घर से लापता हो गई। परिवादिया ने रिपोर्ट में कोर्ट के पास सरवाड़ निवासी नासिर पर पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई थी। साथ ही युवती के साथ किसी गंभीर घटना की संभावना भी व्यक्त की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी राजेश मील एवं वृत्ताधिकारी केकड़ी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से कार्रवाई करते हुए युवती को बगरू जयपुर से दस्तयाब कर लिया। मामले में आरोपी से पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

थानाधिकारी रामपाल शर्मा, गिरधारी लाल, राजकिरण, हरिराम, दातार सिंह, कमलेश, महिला कांस्टेबल प्रियंका सहित जिला स्पेशल टीम अजमेर के शंकर सिंह रावत, महिपाल सिंह एवं जितेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभः श्री शेखावत

फलसूंड में रात्रि चौपाल के बाद सुबह केंद्रीय संस्कृतिएवं पर्यटन मंत्री ने किया ग्रामीणों से संवाद

जयपुर, 10 मई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि गांवों के विकास, किसानों के कल्याण और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने ग्राम रथ यात्रा शुरू की है।

श्री शेखावत रविवार को जैसलमेर जिले के फलसूंड में आयोजित ग्राम रथ यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि योजनाओं की जानकारी सीधे गांवों तक पहुंचे और पंचायतों से जुड़ी समस्याएं प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंचें।

उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में अब केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि प्रसंस्करण, तकनीक और मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर पैदा होंगे। इसी दिशा में आगामी दो माह में ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट आयोजित की जाएगी, जिसमें कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर चर्चा होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए, जिनमें से कई परियोजनाएं अब धरातल पर उतर रही हैं। इसी तरह कृषि क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर निवेश और नवाचार की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। श्री शेखावत ने कहा कि लंबे समय बाद उन्हें फलसूंड क्षेत्र में आकर ग्रामीणों से सामूहिक रूप से संवाद करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि पिछली रात देर तक जनचौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं, संबंधित दस्तावेज एकत्र किए गए और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को क्षेत्र की जमीनी वास्तविकताओं से अवगत कराया गया है, ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा 400 विद्यार्थियों का किया सम्मान

गंगापुर सिटी, 10 मई (मदन मोहन गर्ग)। स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक गंगापुर सिटी के तत्वावधान में आयोजित विद्यार्थी सम्मान समारोह में करीब 400 विद्यार्थियों को शील्ड, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि निवर्तमान सभापति शिवरतन अग्रवाल रहे तथा अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष नीटू सिंह धावाई ने की। विशिष्ट अतिथियों में जिला अध्यक्ष डॉ. अनुज शर्मा, जिला प्रभारी राजेश शर्मा एवं मुख्य भामाशाह मोईन खान मौजूद रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इस दौरान अतिथियों, भामाशाहों एवं विद्यालय संचालकों का स्वागत कर सम्मानित किया गया। मीडिया प्रभारी सारांश जैन ने बताया कि समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करना एवं प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है।

मुख्य अतिथि शिवरतन अग्रवाल ने शिक्षा को जीवन की वास्तविक पूंजी बताते हुए विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया। वहीं नीटू सिंह धावाई, डॉ. अनुज शर्मा, राजेश शर्मा एवं मोईन खान ने भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर महेंद्र जैन, विष्णु गुप्ता, गोविंद पाराशर सहित कार्यकारिणी सदस्य एवं बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षकगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

भिनाय पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर मय ट्रॉली जब्त

एकलसिंहा रोड पर गश्त के दौरान बिना नंबर ट्रैक्टर पकड़ा, खनन विभाग को दी सूचना

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

भिनाय, 10 मई (दीपांकुर चौहान)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध बजरी खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भिनाय थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक बिना नंबर ट्रैक्टर मय ट्रॉली को जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार महानिरीक्षक पुलिस अजमेर रेंज राजेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला के निर्देशन में जिलेभर में अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी राजेश कुमार मील के निर्देश एवं वृत्ताधिकारी केकड़ी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में थाना भिनाय पुलिस ने यह कार्रवाई की। थानाधिकारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 10 मई 2026 को गश्त के दौरान एकलसिंहा रोड पर अवैध बजरी से भरे बिना नंबर ट्रैक्टर मय ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस ने वाहन को जब्त कर सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ा करवाया तथा अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि अवैध खनन क्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है तथा भविष्य में भी अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सराहनीय भूमिका निभाने वाली टीम

थानाधिकारी ओमप्रकाश, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल एवं चालक कांस्टेबल सुमित की कार्रवाई में विशेष भूमिका रही।

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the below mentioned Authorised Person is no longer affiliated as Authorised Person of Kotak Securities Limited.

Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Authorised Person	Address of Authorised Person
BRIJESH KUMAR	BRIJESH KUMAR	NSE - AP0291573241 BSE - AP01067301177099 MCX - 176592	Shop No 51 First Floor Sukhadia Shoping Center Sriganganagar Sriganganagar 335001

Please note that above mention Authorised Person (AP) is no longer associated with us. Any person henceforth dealing with above mention AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned AP.

kotak Kotak Securities Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com. Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member of NSE, BSE, MSE, MCX & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP000000258, and Research Analyst INH000000586. NSDL/CDSL: IN-IN-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr. Hiren Thakkar Call: 022 - 4285 8484, or Email: ks.compliance@kotak.com.

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नीलामी नोटिस

यह आम जनता को सूचित करने के लिए है कि फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने उन खातों (नीचे उल्लेखित) से संबंधित स्वर्ण आभूषणों की नीलामी आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) हैं, या मार्जिन उल्लंघन वाले खाते हैं, या कोई भी ऐसा खाता जो ऋण के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट ऋण वापसी खंड के अंतर्गत आता है। यह नीलामी नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी:

लोन अकाउंट नंबर	शाखा नीलामी तिथि	जिला नीलामी तिथि 1	जिला नीलामी तिथि
FEDGL04210006636	सीकर - 9001493450	सीकर - 9001493450	10/06/2026
FEDGL04210006638	सीकर - 9001493450	सीकर - 9001493450	10/06/2026
FEDBD04800000169	रामगंज जयपुर - 8387049058	वैशाली नगर - 9785765093	10/06/2026
FEDGL04800003470	रामगंज जयपुर - 8387049058	वैशाली नगर - 9785765093	10/06/2026
FEDGL04800003477	रामगंज जयपुर - 8387049058	वैशाली नगर - 9785765093	12/06/2026
FEDGL04210006664	सीकर - 9001493450	सीकर - 9001493450	13/06/2026
FEDGL04210006666	सीकर - 9001493450	सीकर - 9001493450	13/06/2026
FEDGL05450000305	सुजानगढ़ - 9667733559	सुजानगढ़ - 9667733559	15/06/2026
FEDDS04210000665	सीकर - 9001493450	सीकर - 9001493450	15/06/2026
FEDGL04410004842	कालवाड़ रोड - 9571174716	वैशाली नगर - 9785765093	17/06/2026
FEDGL04930004077	सांगानेर - 8107757860	वैशाली नगर - 9785765093	17/06/2026
FEDGL05060002533	नवलगढ़ - जयपुर - 6376877560	नवलगढ़ - 6376877560	17/06/2026
FEDGL04940002346	झोटवाड़ा - 8114454935	वैशाली नगर -785765093	18/06/2026
FEDGL04800003505	रामगंज, जयपुर - 8387049058	वैशाली नगर - 9785765093	19/06/2026
FEDGL04410004853	कालवाड़ रोड - 9571174716	वैशाली नगर -785765093	20/06/2026
FEDGL05450000321	सुजानगढ़ - 9667733559	सुजानगढ़ - 9667733559	20/06/2026

स्थान या तिथि में कोई भी परिवर्तन होने पर, उसकी जानकारी हमारी वेबसाइट **https://www.fedfina.com/gold-loan/special-sections/auction-venue/** पर प्रदर्शित की जाएगी। जो ग्राहक अपने आभूषणों को नीलाम होने से छुड़ाना चाहते हैं, वे लागू नियमों और शर्तों के अधीन, नीलामी तिथि को या उससे पहले उपरोक्त किसी भी शाखा में जा सकते हैं या ऊपर उल्लेखित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नीलामी संबंधित शाखाओं में आयोजित की जाएगी। यदि किसी कारणवश नीलामी निर्धारित तिथि पर पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके संबंध में नीलामी बाद के कार्य दिवसों पर उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। यह प्रक्रिया नीलामी प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। शाखा स्तर पर पहली ऑफ़लाइन नीलामी विफल होने की स्थिति में, नीलामी एसएएमआईएल के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म **https://gold.samil.in** और/या ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शनटाइगर) **https://egold.auctiontiger.net/** के माध्यम से भी शुरू की जाएगी। सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को उनके द्वारा जमा की गई बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा।

दिनांक : 11.05.2026
स्थान : राजस्थान

के लिए, एसडी/- ऑथराइज्ड सिग्नेटरी
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड,

जयपुर में ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फटा, युवक की मौत

हवा के प्रेशर से उखड़े लोहे के कवर से सिर फूटा; बस स्टैंड से पैदल जा रहा था

जयपुर, 10 मई (का.सं.)। जयपुर में रविवार सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फटने से एक युवक की मौत हो गई। टायर फटने पर लोहे का कवर उखड़कर 10 फीट दूर पैदल जा रहे युवक के सिर में जा लगा, जिससे युवक का सिर फट गया। घटना सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में वाटिका सिटी की है।

सूचना पर मौके पर पहुंची सांगानेर सदर थाना पुलिस ने लहूलुहान युवक को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भिजवाया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वह मजदूरी का काम करता था।

पैदल जा रहा था युवक

हेड कॉन्स्टेबल राम सिंह ने बताया- हादसे में विनोदीलालपुरा सांगानेर सदर निवासी रोहित धानका (19) की मौत हो गई। रोहित सुबह करीब 8 बजे वह वाटिका बस स्टैंड से पैदल जा रहा था। इसी दौरान वाटिका से रिंग रोड की तरफ जा रही अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली का टायर फट गया।

लोहे का कवर युवक के सिर पर जा लगा

टायर फटने के कारण एक्सल पर लगा लोहे का कवर उखड़ गया। कवर हवा में 10 फीट दूर उछलकर रोहित के सिर पर जा लगा, जिससे उसका सिर फूट गया और वह निढाल होकर सड़क पर गिर गया। वहां मौजूद लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

ड्राइवर मौके से फरार

पुलिस ने लहूलुहान रोहित को महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह मजदूरी का काम करता था। वहीं फरार हुए ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश की जा रही है।

बीकानेर सेंट्रल जेल में भिड़ गए कैदी

मारपीट में एक बंदी घायल, जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर केस दर्ज

बीकानेर। बीकानेर के केंद्रीय कारागार में विचाराधीन बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जेल परिसर में हुई झड़प के दौरान एक बंदी को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद जेल प्रशासन की ओर से बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना शनिवार दोपहर करीब सवा बारह बजे की बताई जा रही है।

जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार केंद्रीय कारागार में तैनात जेल प्रहरी जितेंद्र सुरोला ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एफआईआर में विचाराधीन बंदी मनोज उर्फ कालिया को नामजद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बंदी के खिलाफ पहले से दर्ज एक मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वह इसी मामले में जेल में बंद है।

एफआईआर के मुताबिक जेल परिसर के भीतर किसी बात को लेकर बंदियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। आरोप है कि मनोज उर्फ कालिया ने दूसरे बंदी के साथ मारपीट करते हुए उसे गंभीर चोट पहुंचाई। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घायल बंदी को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बीछवाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल हुए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा,आचार्य गिरधर कृष्ण को पहनाया साफा

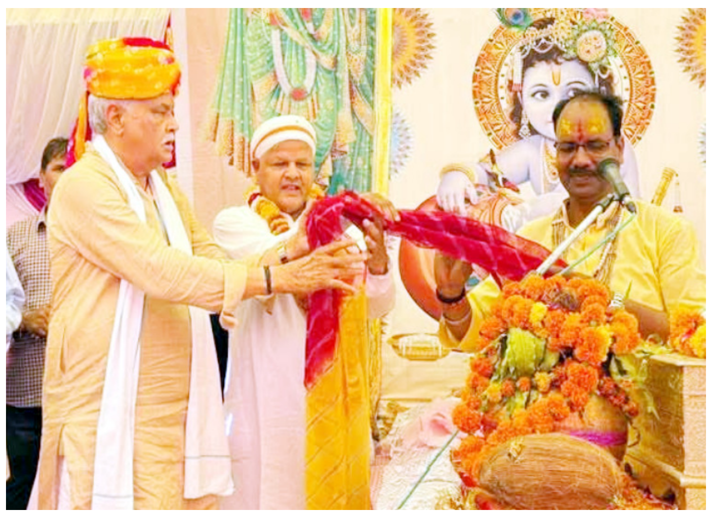

गंगापुर सिटी, 10 मई (मदन मोहन गर्ग)। कृषि एवं आपदा राहत मंत्री किरोड़ीलाल मीणा रविवार को बामनवास और गंगापुर सिटी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गंडाल ग्राम पंचायत में राधारमण नवीन मंदिर भवन का लोकार्पण किया और श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए।कथा वाचक आचार्य गिरधर कृष्ण को साफा पहनाकर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मंत्री ने भक्ति और संस्कारों को समाज सुधार की मजबूत शक्ति बताते हुए कहा कि धार्मिक चेतना से नशा, हिंसा और अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वहीं दौरे के दौरान ग्रामीणों ने ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावित अलाइनमेंट को लेकर अपनी चिंताओं से जुड़ा ज्ञापन भी मंत्री को सौंपा।डॉ. मीणा ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

ऐसे आयोजनों से लोगों में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे सामाजिक कुरीतियों से दूर रहकर नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने की दिशा में कार्य करें। इस दौरान बामनवास विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र मीना भाजपा कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कॉफी में नशीला पदार्थ पिलाकर 9वीं की छात्रा से रेप

जयपुर में पड़ोसी युवक बहला-फुसला कर धोखे से होटल ले गया, आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 10 मई (का.सं.)। जयपुर में पड़ोसी युवक ने नशीला पदार्थ पिलाकर 9वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बहला-फुसलाकर 15 साल की लड़की को होटल में ले गया और कॉफी में नशीला पदार्थ पिला दिया।

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत **FIR** दर्ज कर आरोपी पड़ोसी को अरेस्ट किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि जयपुर की रहने वाली 15 साल की लड़की से रेप हुआ है। वह एक स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ती है। पड़ोसी होने के कारण आरोपी से उसकी बातचीत थी।

पड़ोसी धोखे से ले गया होटल

आरोप है कि बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे मिलने के बहाने बुलाया। मिलने जाने पर आरोपी पड़ोसी बहला-फुसलाकर धोखे से उसे होटल में ले गया। होटल में कॉफी के अंदर नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग को पिला दिया। बेहोशी की हालत में आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया।

होश आने पर विरोध किया तो धमकाया

होश आने पर विरोध करने पर धमकाया। डरी-सहमी पीड़िता ने जैस-तैसे हिम्मत कर परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची नाबालिग पीड़िता ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल करवाकर तुरंत कार्रवाई कर पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी पड़ोसी को अरेस्ट किया।

जो वादे किए उन्हें हर हाल में पूरा करूंगा: विक्रम सिंह जाखल

मुकुंदगढ़। कस्बे के घोडीवारा कला के आम चौक में ग्रामीणों द्वारा रविवार को विधायक विक्रम सिंह जाखल का साफा व माला पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया गया। विधायक जाखल को गुसाईं जी के मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक घोड़ी पर बैठाकर डीजे के साथ लाया गया। जहां ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अभिनन्दन समारोह में विधायक जाखल ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विकास कार्यों को लेकर जनता से जो वादे किए गए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा करुंगा। कार्यक्रम के दौरान जयवीर सिंह शेखावत, ओमप्रकाश जांगिड़, मुमताज कांजी, इलियास काजी, धीरसिंह माण्डासी, मदनसिंह जांटवाली, मनीष शर्मा (पूर्व मंडल अध्यक्ष), महेश कसेरू, दिनेश जेजूसर, हितेश थोरी, हनुमान सिंह, राजेन्द्र बुडानिया, मनोहर सिंह शेखावत, शौकत खां, अमरचंद कुलहरी, रणजीत सिंह कसेरू, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पुनिया सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः-www.pnbhousing.com

बी.ओ.जयपुरः नंबर एसबी-59, यूडीबी टावर, पहली मंजिल, टोंक रोड, बापू नगर, जयपुर नगर निगम के सामने, जयपुर, राजस्थान 302015, **बी.ओ.बीकानेरः** बी-46-बी, दूसरी मंजिल, सादुल गंज, बीकानेर- 334002, **बी.ओ. भिवाड़ीः** ए-10, पहली मंजिल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाय पास, भिवाड़ी-301019, राजस्थान।

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार "**जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर**" बेचा जाएगा। एतद्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी)(एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम ब्रेंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एनएचएल/जेपीआर/1117/458231 माला माथूर/संदीप माथूर, बी.ओ.: जयपुर	रु. 12,01,949.67 15-01-2025 और	भौतिक कब्जा	एफएफ फ्लोर 30, दा राइज प्लॉट नंबर 8 बी, सेक्टर-8, प्रताप नगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर 302033, प्लॉट नंबर 1056, वार्ड नंबर 07, नोखा, बीकानेर, राजस्थान।	रु. 10,69,000	रु. 1,06,900	27/05/2026	रु. 10,000	15.05.2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	28.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.30 बजे	अज्ञात बिल्डर शुल्क
एनएचएल/बीआईके/0818/562866 अरुण नवलखा/ममता नवलखा एवं श्रीमती मोहिनी देवी नवलखा बी.ओ.: बीकानेर	रु. 15,54,958.09 और 15-07-2022	भौतिक कब्जा	प्लॉट नंबर 1056, वार्ड नंबर 07, नोखा, बीकानेर, राजस्थान, भारत, 334803.	रु. 16,20,000	रु. 1,62,000	27/05/2026	रु. 10,000	15.05.2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	28.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.30 बजे	ज्ञात नहीं है
एचओयू/जेपीआर/1119/755419 उर्मीला जुमवावी गोपी चंद बी.ओ.: जयपुर	रु. 10,42,907.77 और 08-04-2021	भौतिक कब्जा	16, पहली मंजिल, एलआईजी बी, मोजिका लक्ष्मी विहार, 33 श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तेशिल सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, भारत-302006	रु. 6,34,000	रु. 63,400	27/05/2026	रु. 10,000	15.05.2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	28.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.30 बजे	ज्ञात नहीं है
एचओयू/जेपीआर/1219/765314 शांति देवी/गोविंद जयसवाल पूनम जयसल बी.ओ.: जयपुर	रु. 8,16,529 और 23-06-2021	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर 9, तीसरी मंजिल, ईडब्ल्यूएस ए, मोजिका लक्ष्मी विहार, 33, श्री रामपुरा बास, भांकरोटा, तेशिल सांगानेर, जयपुर, राजस्थान, भारत-302006	रु. 5,89,000	रु. 58,900	27/05/2026	रु. 10,000	15.05.2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	28.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.30 बजे	ज्ञात नहीं है
एचओयू/बीएचआई/0617/401897 सुनीता देवी/बच्चू सिंह, बी.ओ.: भिवाड़ी	रु. 6,00,439.91 और 6/06/2024	भौतिक कब्जा	101, 1, टावर ई-13, बीडी आनंद, गांव झिवाना और खातीवास, तहसील तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान, अलवर, राजस्थान, भारत-305001	रु. 250,000	रु. 25,000	27/05/2026	रु. 10,000	15.05.2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	28.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.30 बजे	ज्ञात नहीं है
एचओयू/बीएचआई/0119/639649 गुरिंदर सिंह/रीटा रानी, बी.ओ.: भिवाड़ी	रु. 7,31,027.49 और 14/02/2024	भौतिक कब्जा	ब्लॉक बी फ्लैट नंबर-105, वंशिका होम्स, खसरा नंबर 18 19 35 50 55 59 1417/63 66 गांव, थेलारा जिला-अलवर, राजस्थान-301019, भारत। माप 527 वर्ग फुट।	रु. 553,000	रु. 55,300	27/05/2026	रु. 10,000	15.05.2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	28.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.30 बजे	ज्ञात नहीं है
एचओयू/बीएचआई/0217/356189 तन्मय सिंघा/सोमा दास, बी.ओ.: भिवाड़ी	रु. 9,58,985.51 और 17/01/2023	भौतिक कब्जा	यूनिट नंबर 1005, 10वीं मंजिल, टावर सी-4, एवलॉन होम्स, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान-301019, भारत, क्षेत्रफल 460 वर्ग फुट	रु. 321,000	रु. 32,100	27/05/2026	रु. 10,000	15.05.2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	28.05.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.30 बजे	ज्ञात नहीं है

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** **1.** आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। **2.** संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। **3.** कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। **(4.) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको अश्वनी कुमार शर्मा/श्याम सुंदर/दीपक शाह/रवि कुमार, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेलः auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।**

स्थानः- राजस्थान दिनांकः- 11.05.2026

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08